



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

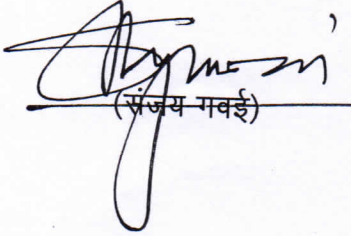
पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/443
दिनांक: 07.07.2015

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 23.06.2015 को सम्पन्न 23^{वीं} बैठक की मद संख्या 19 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार दूरशिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सत्र 2015-16 से डीसीए, पीजीडीसीए तथा एम.ए. हिंदी पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का अनुमोदन किया जाता है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिषद)
5. स्थापना विभाग
6. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय
7. वित्त विभाग
8. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल


(संजय गवई)